



# आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय  
महाप्रबंधक(कार्मिक)  
दिनांक: 18.11.2022

No. RCF/RBL/Inter Rly. Transfer/ORT (PART-II)

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/शैल  
आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

विषय : स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के तहत श्री ब्रज किशोर मीना, कर्मचारी सं. 52000459718, तकनीशियन-I यांत्रिक फिटर (लेवल-5) को आरेडिका, रायबरेली से माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा के लिए कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : (i) इस कार्यालय का पत्रांक सं. MCF-RBLOPERS(TRF.)/27/2020 दिनांक 18.02.2021

(ii) कार्यालय, मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.) माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा का पत्रांक सं.

WCR/PWRS/221/ORT/E-2 VOL-26 (लूज़) (485/70986) (486/70988) दिनांक 06/06/2022


\*\*\*\*\*

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा श्री ब्रज किशोर मीना, कर्मचारी सं. 52000459718, तकनीशियन-I यांत्रिक फिटर (लेवल-5) आरेडिका, रायबरेली को तकनीशियन-III, यांत्रिक-फिटर (लेवल-2) के निम्नतम वरीयता में स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के तहत निम्नलिखित शर्तों पर स्थानांतरित किया जाता है:-

1. कर्मचारी को रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एनजी)1-2001टी/आर./16 दिनांक 21.11.2001 के निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यमुक्त किया जाए।
2. कर्मचारी के कार्यमुक्ति पत्र में उनके फोटो पर कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर होना चाहिए।
3. कार्यमुक्ति पत्र में कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं बाए हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
4. चूंकि यह स्थानांतरण, स्वयं के अनुरोध पर है अतः कर्मचारी को स्थानांतरण पर टी.ए.डी /.ए. स्थानांतरण पास, जॉइनिंग टाइम एवं कम्पोजिट ट्रांफर ग्रांट इत्यादि देय नहीं है।
5. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा में कार्यग्रहण पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण हेतु जारी नियम के अंतर्गत किया जाएगा।

श्री ब्रज किशोर मीना, कर्मचारी सं. 52000459718 को कार्यमुक्ति करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि कर्मचारी के विरुद्ध डी.एंड.ए.आर से सम्बंधित मामला लंबित न हो व सम्बंधित कार्यालय से नो ड्यूज प्रमाण पत्र से साथ पिछले माह व कार्यमुक्ति तिथि तक की उपस्थिति पंजिका की सत्यापित प्रति एवं कर्मचारी का नवीनतम तीन पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ कार्यमुक्ति हेतु इस पत्र के जारी होने से 03 दिनों के अंदर कार्मिक विभाग में नो ड्यूज के साथ रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित करें, ताकि कर्मचारी को मुख्य कारखाना प्रबंधक (का.) माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, प.म.रे., कोटा के लिए कार्यमुक्त किया जा सके।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ राज.  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. CWM(P), W.C.R., Kota Pin-324010
2. पी.एस. टू प्र.मु.का.अधि., प्र.मु.या.अभि., प्र.मु.चिकित्सा अधिकारी, प्र.मु.विद्युत अभि.आरेडिका, रायबरेली।
3. प्र.मु.अभि., उप मु.वित्त प्रबंधक एवं सलाहकार उप मु. संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, IT Cell आरेडिका, रायबरेली।
4. Ch.OS/Bill, Ch.OS/Co-ordination, Ch.OS/Misc., Ch.OS/APAR, MPP Cell आरेडिका, रायबरेली।



MCF/RBL